

संविधान सभा का विभाग  
का संख्या १०९ के तहत के द्वारा  
दिनांक

**अनुच्छेद की प्राप्ति**

- 1) उक्त मन्त्र/युवाका के निर्देश की स्वीकृति स्वीकृत नहीं करती है।
- 2) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजनीतिक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई परामर्शित नहीं होगा तथा यह ही विभाग किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा।
- 3) मन्त्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवश्यक विभाग को सूचित करेगा।
- 4) स्वीकृत नहीं के विपरीत विभाग प्राप्ति होने पर स्वीकृत विभाग को सूचित करेगा।

**एकल पीडकी केवल आवाचीय प्रयोजनार्थ**

व्यवसायिक नगर विभाग, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 109 दिनांक 21/02/2017

प्राप्ति सुनील कुमार 2/02/2017 एम.डी. आरुणा

वे व्यवसायिक नगर विभाग में पंजीकृत क्रमांक 1009 P.No: 108 शेकर नगर जमदा न.37

मन्त्र निर्माण का प्रस्ताव व्यवसायिक क्षेत्र में देना

कर निर्धारण का प्रस्ताव 7,800/- रु. 21/02/2017 आम चौपालनी

कर निर्धारण संख्या 1020/987, 988, 989

दिनांक 21/02/2017 को प्राप्त करा है।

*सुनील कुमार*

व्यवसायिक  
नगर विभाग, जोधपुर

नगर जण्ड विभाग  
*[Signature]*  
21/02

जी.।  
आवाचीय